

एक मुश्त संपत्तिकर की राशि जमा कर सवा छः प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं

भिलाईनगर। निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओं को सुविधा प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 का एक मुश्त संपत्तिकर की राशि मई माह में जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का घोषणा किया है। करो का भुगतान आनलाईन करने हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाईट भी उपलब्ध है।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर संपत्तिकर विभाग ने निगम क्षेत्र के भवन मालिकों की सुविधा के लिए वेबसाईट <https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/> लाँच किया है, जिसमें संपत्तिकर बटन पर क्लिक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लिक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिंग, यूपीआई पूछा जायेगा जिस पर क्लिक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटर सुरक्षित रख सकते हैं। निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउन्टर है।

गौरतलब है कि मई माह में संपत्तिकर राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। भवन स्वामी अपना संपत्तिकर राशि जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।